न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **247/2025** दायर दिनाँक **02.07.2025**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. मोहम्मद अली पुत्र कमरूदीन दत्तक पुत्र खाजुबगस जाति शेख निवासी खाटुखुर्द तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना –कुचामन।	**बनाम्**	1. लाल मोहम्मद पुत्र अलाउदीन जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन 2. यूको बैंक शाखा शैरानी आबाद 3. तहसीलदार छोटीखाटू

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act., 136 L.R.Act.

उपस्थितः–

1. श्री अभिषेक सिंघाडिया वकील वादी।
2. श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **09.04.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वादी का कब्जा काश्त खेत खसरा नम्बर 167 रकबा 1.7000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1920/252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर बारानी (पुराने खसरा नम्बर 1033 रकबा 10.10 बीघा व खसरा नम्बर 1068 रकबा 3.17 बीघा) वाके सरहद खाटुखुर्द में है, जिस पर प्रतिवादी सं० 1 लाल मोहम्मद के नाम से राजस्व कर्मचारीयों की भूल से खातेदारी हो गयी तथा प्रतिवादी सं० 1 लाल मोहम्मद का खेत खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0300 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 1919/167 रकबा 1.6800 हैक्टेयर बारानी 1 व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर (पुराने खसरा नम्बर 2464/1033 रकबा 10.10 बीघा व खसरा नम्बर 2465/1068 रकबा 3.17 बीघा) वाके सरहद खाटु खुर्द पर कब्जा काश्त है तथा इसकी खातेदारी वादी मोहम्मद अली के नाम से राजस्व कर्मचारीयों की भूल से हो गई। उक्त विवादग्रस्त जमीन में वादी व प्रतिवादी सं० 1 के कब्जा अनुसार भूमि मौके पर नहीं है, जिस कारण से वादी व प्रतिवादी सं० 1 के मध्य सिवों–निवों को लेकर व कब्जा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। इसलिए वादी को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी आया है।

उक्त वर्णित आराजी में वादी अपने हिस्से व बंट में आई भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है, लेकिन हाल ही में प्रतिवादी सं० 1 द्वारा खातेदारी की आड़ में वादी को उसके हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल करने व उनके हिस्से की भूमि को किसी भू–माफिया को बैचाण करने की धमकी देने के कारण वादी को यह दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है कि –

वाके सरहद खाटुखुर्द के खेत खसरा संख्या 167 रकबा 1.7000 है. व खसरा नम्बर 1920/252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम की जावे व खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1919/167 रकबा 1.6800 हैक्टेयर व

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण सं० 1 लाल मोहम्मद के नाम की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें कि खेत खसरा नम्बर 167 रकबा 1.7000 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1920/252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर बारानी वाके सरहद खाटुखुर्द की भूमि में न तो स्वयं प्रतिवादीगण दखल अन्दाजी, बेचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा आदि करें तथा न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाब पेश हुआ। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा जरिये पत्रांक भू.अ./2025/1514 दिनांक 12.09. 2025 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड के अनुसार वर्तमान में खसरा नं. 252 रकबा 0.62 हेक्टर खसरा न 1919/167 रकबा 1.6800 हैक्टर व खसरा नं. 281 रकबा 0.0300 हैक्टर मोहम्मद अली पुत्र कमरूदीन दतक पुत्र खाजुवगस हिस्सा पूर्ण जाति शेख सा.देह खातेदार एवं खसरा नं 1920/252 रकबा 0.6200 हैक्टर खसरा नं. 167 रकबा 1.70 हैक्टर लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान सा. शेरानी आबाद खातेदार दर्ज है। मौके पर खसरा न. 252, 1919/167, 166 पर वर्तमान में लाल मोहम्मद पुत्र अलादीन जाति मुसलमान सा. शेरानी आबाद का कब्जाकाश्त है जबकि खसरा नं. 1920/252, 167, 281 पर वर्तमान में मोहम्मद अली पुत्र कमरूदीन दतक पुत्र खाजुवगस हिस्सा पूर्ण जाति शेख सा. खातेदार का कब्जाकाश्त है।

नामा सं. 3284 नि. दि 24.06.2018 डिग्री आदेश बंटवारा में नजरी नक्शा में खसरा नं 1068 (नया. ख.न. 252) रकबा 7.14 बीघा में उतरी दिशा 1/2 हिस्सा (3.17 बीघा) लालमोहम्मद के एवं दक्षिणी 1/2 हिस्सा (3.17 बीघा) मोहम्मद अली के नाम दर्ज हुआ है इसी प्रकार खसरा नं 1033 (नया खसरा. न. 166,167) रकबा 21 बीघा में उतरी 1/2 हिस्सा (10.10 बीघा) लाल मोहम्मद के नाम एवं दक्षिणी 1/2 हिस्सा 10. 10 बीघा मोहम्मद अली के नाम दर्ज है एवं खसरा नं. 988 (नया खसरा नं. 281) रकबा 0.04 बीघा सम्पुर्ण मोहम्मद अली के नाम दर्ज है।

वर्तमान खसरा नम्बरो की तरमीमे मौका नाप अनुसार नही है एवं डिग्री आदेश बटवारा अनुसार खसरा नं. 1919/167 का रकबा 1.6800 हैक्टर के स्थान पर 1.6750 हैक्टर एवं खसरा नं 167 का रकबा 1.70 हैक्टर के स्थान पर 1.7050 बनता है ।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वकिल वादी द्वारा दौराने बहस किये गये कथनों के अनुसार उक्त वर्णित खसरान् की खातेदारी में दौराने सेग्रीगेशन गलत अंकन हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाना लाजमी है।

विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। वादी सरहद खाटुखुर्द के खेत खसरा संख्या 167 रकबा 1.7000 है. व खसरा नम्बर 1920/252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम की जावे व खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1919/167 रकबा 1.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादीगण सं० 1 लाल मोहम्मद के नाम खातेदार घोषित किये जाने की इस्तदुआ कर रहा है। दौराने रेकर्ड के अवलोकन पाया कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 146/2018 में पारित डिक्री

Weas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक 07.06.2018 के अनुसार खेत खसरा संख्या 1033 रकबा 21 बीघा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा व खसरा संख्या 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 दक्षिणी हिस्सा तथा खसरा संख्या 988 सम्पूर्ण वादी मो. अली के बंट व कब्जा काश्त में तथा खसरा संख्या 133 रकबा 21 बीघा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा व खसरा संख्या 1068 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा में से 1/2 उत्तरी हिस्सा प्रतिवादी लाल मोहम्मद के बंट में रखा गया। जिसका नामान्तकरण तहसीलदार 3284 दिनांक 20.06.2018 को भरा गया। जिसके अनुसार वादी की खातेदारी मे सही अंकन हुआ है परन्तु दौराने सेग्रीगेशन हुए गलत अंकन को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है जिस पर उभयपक्ष में सहमति भी जाहिर की है। अतः उभयपक्षकारान् की सहमति एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश :—

मौजा सरहद खाटुखुर्द के खेत खसरा संख्या 167 रकबा 1.7000 है. व खसरा नम्बर 1920/252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 लाल मोहम्मद के स्थान पर वादी मोहम्मद अली के नाम एवं खसरा नम्बर 166 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1919/167 रकबा 1.6800 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 252 रकबा 0.6200 हैक्टेयर की खातेदारी वादी मोहम्मद अली के स्थान पर प्रतिवादी सं० 1 लाल मोहम्मद घोषित की जाती है। तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **09.04.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना